


कार्यालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

जैसा कि सर्वज्ञात है, सम्पूर्ण भारत सरकार में Persons with Disabilities के लिए हिन्दी में मानक शब्द "दिव्यांगजन" है, यह शब्द एक दीर्घ अवधि से प्रयुक्त हो रहा है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का अधिदेश समग्र तौर पर दिव्यांगजनों के हितार्थ कार्य करना है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने निर्देशित किया है कि उपयुक्त के सन्दर्भ में, जहां भी आवश्यक हो, सिर्फ "दिव्यांगजन/दिव्यांगता/दिव्यांग" शब्दों का ही प्रयोग सरकारी काम काज में सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी अन्य वैकल्पिक शब्द का उपयोग किसी भी स्थिति में अपेक्षित नहीं है।


(पी.के. त्रिपाठी)

अतिरिक्त निजी सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री,
10.12.2024

सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

✓ सचिव

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

JS(RS)/JSC(MN)/ODS

DIR(SCT)
2



DS(LNR)

DS(AKM) / DS(JS)



सु.च. 2421

11/12/24

डा. ज (संसद)

314731/SECY/DEPwDs
Dy. No.
Date: 11/12/2024